

कार्यालय-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी (छ0ग0)

// विज्ञापन //

क्रमांक 96 / जि.वि.से.प्रा. (LADCS)

धमतरी दिनांक 16.01.2025

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30.01.2025 संध्या 05:00 बजे तक

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी (छ0ग0) अंतर्गत संविदात्मक नियुक्ति के रूप में कार्यालय सहायक/क्लर्क (Office Assistants/ Clerks) एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेंडेंट) [Office peon (Munshi/Attendant)] कर्मचारियों के निम्नांकित रिक्त पदों पर संविदात्मक भर्ती हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी में दिनांक 30.01.2025 के संध्या 05:00 बजे तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.	रिक्त पद	रिक्त पदों की संख्या	योग
1	कार्यालय सहायक/क्लर्क (Office Assistants/ Clerks)	02	02
2	कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेंडेंट) [Office peon (Munshi/Attendant)]	02	02
कुल योग		04	04

- टीप :-**
- क. परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी के पास सुरक्षित रहेगा।
 - ख. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा नियुक्ति दिनांक से 1 वर्ष की अवधि के लिये ही है। नियुक्ति किये गये स्टाफ की उपस्थिति कार्य प्रणाली संतोषप्रद व्यवहारिक एवं व्यवस्थित होने पर नालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है अथवा संतोषजनक कार्य नहीं पाये जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
 - ग. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्तमान में संविदा कर्मचारियों के लिये सेवा शर्तों के लिए निर्धारित परिपत्र/नियम/शर्तों के प्रावधानों के अधीन शासित होंगे।

1. भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

(1) कार्यालय सहायक/क्लर्क (Office Assistants/ Clerks) पद के लिये-

अ- वेतनमान क्लास सी :- संविदा एकमुश्त 15,000/रु. मासिक)

ब- शैक्षणिक योग्यता -

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।
2. बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कम्प्यूटर संचालित करने की क्षमता और डेटा फीड करने का कौशल होना चाहिये।
3. याचिका की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति की दक्षता होनी आवश्यक है।
4. श्रुतलेख लेने और न्यायालयों में प्रस्तुति के लिए फाइलें तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए।
5. फाइल रखरखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिए।

(2) कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेंडेंट) [Office peon (Munshi/Attendant)] पद के लिये-

अ- वेतनमान क्लास सी :- संविदा (एकमुश्त 9,000/रु. मासिक)

ब- शैक्षणिक योग्यता -

किसी मान्यता बोर्ड से कक्षा आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण हो। सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण-पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें।

2. आयु एवं पात्रता

कार्यालय सहायक/क्लर्क (Office Assistants/ Clerks) एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेंडेंट) [Office peon (Munshi/Attendant)]

- (1) आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में अभ्यर्थी चाहे तो रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करते हुये, रोजगार कार्यालय के पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत कर सकता है।
- (अ)- कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के पात्र नहीं होगा।
- (ब)- कोई पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित है और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परंतु यदि शासन को इस बात का समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
- (2) उम्मीदवार ने दिनांक **01.01.2025** को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, परंतु 35 वर्ष से अधिक न हो। **छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट की अवधि कैलेण्डर वर्ष 2025** की समाप्ति तक के लिये प्रदान की गई है।
- (3) किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्य के आवेदकों के लिये अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।

- (4) आवेदक किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।

3. उच्चतर आयु सीमा में छूट

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :-

- 3(एक) (1)- यदि अभ्यर्थी छ0ग0 शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- 3(एक) (2)- छ0ग0 शासन स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छ0ग0 राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
- 3(एक) (3)- ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष की कालावधि, भले ही कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के अनुज्ञात किया जायेगा परन्तु उसके परिणाम स्वरूप आयु सीमा 03 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :- छंटनी किये गये शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 06 माह तक रहा हो तथा किसी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में काम किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

- 3(एक) (4)- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप में आये निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।
- 3(एक) (5)- महिलाओं के लिए आयु में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी, जो उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।
- 3(एक) (6)- शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों के रूप में सेवा की है, इसके लिए 06 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।
- 3(एक) (7)- विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।
- 3(एक) (8)- स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी हामगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा में अध्यधीन रहते हुये दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

3(एक) (9)– संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 43 वर्ष की आयु सीमा तक होगी।

3(एक) (10)– शारीरिक रूप से अक्षम सेवा योग्य (दृष्टिहीन, श्रवणबाधित तथा अस्थिबाधित के उम्मीदवारों) व्यक्तियों के लिये 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

3(दो) (1)– आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ण सहभागी को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

नोट :- आयु सीमा में छूट हेतु सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

3(दो) (2)– विक्रम पुरस्कार प्राप्त सम्मानित खिलाड़ियों एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं प्रचलित शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप- (1)–बिन्दु क्रमांक-3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2)–बिन्दु क्रमांक-3 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा को सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक प्रकार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट बिन्दु क्रमांक 03 में दी गयी विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण:- यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 05 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(3) उपरोक्त 3 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

नोट :- अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं निर्याग्यता सामान्य प्रशासन विभाग (छ0ग0 शासन) द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश अनुसार भी लागू रहेगा।

4. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

(1) विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्णतः साफ सुथरा भरे हुए बंद लिफाफे में जिसके ऊपर आवेदित पद का नाम **मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो**, को कार्यालय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी, (छ0ग0), पिन-493773 में

दिनांक **30.01.2025** की **संध्या 05:00** बजे तक कार्यालय में रखे डॉप बॉक्स में प्राप्त किये जायेंगे।

- (2) आवेदन पत्र के साथ **जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र** (शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत् शासकीय सेवकों को छोड़कर), की अभिप्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (3) एक आवेदन के आधार पर अभ्यर्थी दोनों पद की चयन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। प्रत्येक पद के लिये पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- (4) डाक, कोरियर, ई-मेल, फ़ैक्स के द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व तथा निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- (5) विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन **प्रधान जिला न्यायालय धमतरी जिला – धमतरी (छत्तीसगढ़)** के अधिकारिक वेबसाईट <https://dhamtari.dcourts.gov.in/> में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिये आवेदन पत्र का प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है।
- (6) आवेदक, आवेदन पत्र पर स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करेगा।
- (7) विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (8) त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, अस्पष्ट एवं बिना हस्ताक्षर आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा। जिसकी सूचना आवेदक को देने हेतु बाध्यता नहीं रहेगी।

5. नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया

1. कार्यालय सहायक/क्लर्क (Office Assistants/ Clerks) (संविदा) के पद के लिये नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया :-

प्रथम चरण :-

स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। जिसमें से एक पद के लिए 20 गुना अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण हेतु बुलाया जाएगा। स्नातक में अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उसे प्राथमिकता दी जावेगी। यदि दोनों अभ्यर्थी की जन्मतिथि समान होगी तो कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।

द्वितीय चरण : कौशल परीक्षा :-

कार्यालय सहायक/क्लर्क (Office Assistants/Clerks) पद हेतु :- उक्त पद हेतु कौशल परीक्षा 250 अंकों की होगी। उम्मीदवारों को 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का हिन्दी श्रुतलेख दिया जावेगा। जिसे शुद्धता से कम्प्यूटर पर **उबन्दू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस** में टाईप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिये 1/5 अंक काटा जावेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईपिंग की प्रत्येक अशुद्धियों के लिये होगा। प्रत्येक अशुद्ध शब्द एवं छोड़े गये शब्द, प्रत्येक अशुद्ध शब्द माना जाएगा। कुल 250 शब्द में से 100 शब्द या उससे अधिक शब्द छोड़े जाने पर अभ्यर्थी के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

मेरिट सूची :- कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जावेगी। चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उसे प्राथमिकता दी जावेगी। यदि अभ्यर्थियों की जन्मतिथि समान होगी तो स्नातक में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को प्राथमिकता दी जावेगी। और यदि स्नातक में भी समान अंक हो तो स्नातकोत्तर में प्राप्त अंक, तथा स्नातकोत्तर नहीं होने पर कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।

(ब) चयन प्रक्रिया:- उक्त कौशल परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की वरीयता सूची रिक्त पदों के 3 गुना तैयार की जाएगी। चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उसे प्राथमिकता दी जावेगी। यदि दोनों अभ्यर्थी की जन्मतिथि समान होगी तो कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।

2. कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेंडेंट) [Office peon (Munshi/Attendant)] के पद हेतु नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया :-

कौशल परीक्षा/साक्षात्कार

रिक्त पदों के **बीस गुना** अभ्यर्थियों की सूची उनके कक्षा आठवीं के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम में तैयार की जावेगी तथा इस सूची में आने वाले अभ्यर्थी को ही **कौशल परीक्षा/साक्षात्कार** के लिए बुलाया जावेगा। साक्षात्कार कुल 50 अंक का होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित कराने का अधिकार सुरक्षित होगा।

साक्षात्कार उपरांत अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उसे प्राथमिकता दी जावेगी।

टीप:- यदि अभ्यर्थी को कक्षा 8वीं में ग्रेड सिस्टम से ग्रेड प्रदान किया गया है तो यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि संबंधित स्कूल से कक्षा 8वीं में प्राप्त किये गये प्राप्तांकों एवं उनके प्रतिशत का प्रमाणपत्र प्राप्त कर, स्वप्रमाणित दस्तावेज निर्धारित आवेदन प्रारूप के साथ संलग्न करें।

“परीक्षा एक दिवस में समाप्त नहीं होने पर आगामी तिथि को भी लिया जावेगा।”

6. अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिये, कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी के साथ भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र को चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

7. अन्य आवश्यक सूचनाएं

A नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी (छ0ग0) को होगा।

B उपरोक्त पदों पर मेरिट सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिये वैध होगी।

C परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा आगामी तिथि निर्धारित कर एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।


नोट :- पात्र अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र कार्यालय के वेबसाईट के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से नहीं भेजा जावेगा। **अतः अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे कार्यालय की अधिकारित वेबसाईट <https://dhamtari.dcourts.gov.in/> का सतत अवलोकन करते रहें।**

D प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात् "सूचना के अधिकार अधिनियम" के अंतर्गत प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगी।

8. महत्वपूर्ण टीप :-

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जावेगी। कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने पर कभी भी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(अनुमोदित)


अध्यक्ष

चयन समिति (DLSA)/
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (FTC)
धमतरी (छ.ग.)

आवेदन-पत्र का प्रारूप
कार्यालय सहायक/क्लर्क (Office Assistants/ Clerks) एवं कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेंडेंट)
[Office peon (Munshi/Attendant)]
(संविदा) कर्मचारियों के पद पर नियुक्ति हेतु

आवेदन पत्र क्र.(केवल कार्यालय उपयोग हेतु)
प्रति,

जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी
जिला-धमतरी (छ0ग0)

नवीनतम पासपोर्ट
आकार का फोटो
चस्पा कर
स्वप्रमाणित करें।

1. आवेदित पद का नाम :.....
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :.....
(अंग्रेजी के केपिटल लेटर्स में) :.....
3. लिंग (संकेतांक) पुरुष-1, महिला-2, अन्य-3
4. पिता/पति का नाम :.....
5. (अ) पत्र व्यवहार का पता (हिन्दी में) :.....
:.....
:.....

(ब) स्थायी पता :.....

(यदि पत्र व्यवहार का पता एवं स्थायी पता एक :.....

ही है तो तदैव लिखें) :.....

6. (अ) जन्म तिथि (अंकों में)

शब्दों में :.....

(ब) दिनांक 01.01.2025 को आयु वर्ष माह दिन

7. क्या अभ्यर्थी छ0ग0 राज्य का मूल निवासी है?

हाँ/नहीं (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

8. अ. क्या अभ्यर्थी छ0ग0 शासन द्वारा छ0ग0 के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/

अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हाँ/नहीं

(यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

ब. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/
अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें

9. अ. क्या अभ्यर्थी दिव्यांग है? हाँ/नहीं

(यदि हाँ, तो दिव्यांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड
के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

ब. दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत :.....

10. क्या अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक है ? हाँ/ नहीं

(यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण
पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक.....

व दिनांक :.....

12. रोजगार कार्यालय का नाम :.....

13. क्या आप विवाहित हैं ? हाँ/नहीं

14. यदि विवाहित हैं, तो विवाह की तिथि

15. जीवित बच्चों की संख्या

16. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	प्राप्तांक/ पूर्णांक

17. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? हाँ/नहीं

(यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की
सत्यापित प्रति संलग्न करें)

18. स्व-प्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-


A..... B.....
C..... D.....
E..... F.....
G..... H.....
I..... J.....

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है एवं आवेदित पद के लिये मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत, असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद के लिये मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त किये जाने योग्य होगी।

स्थान :

दिनांक :



आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर
(पूरा नाम एवं पता)

नाम :

पता :

.....

CG

visit - cgjobmitra.in

**JOB
MITRA**

CGJOBMITRA.IN

A JOB INFO PORTAL



ग्रुप ज्वाइन

8109326377 पर

Hii मैसेज करें

- छ. ग. सरकारी एवं संविदा नौकरी
- छ. ग. सरकारी प्रवेश पत्र एवं रिजल्ट
- छ . ग. कॉलेज प्रवेश एवं रिजल्ट सूचना
- छ ग सरकारी योजनाओ की जानकारी

